किसानों की आड़ में महंगाई पर राजनीति

*अजय जाखड़

एक बार डब्लयू एच मोरलैंड ने भारतीय मुगल कृषि पद्धति पर लिखा था 'मूल्यों के बढ़ने से किसानों को सबसे आखिर में लाभ होता है, जबकि मूल्यों के गिरने से वह सबसे पहले प्रभावित होता है'। यह वाक्य आज भी लागू होता है। चाहे हथियारों के सौदे हों या प्याज का बिचौलिये ही नीतियों का दुरूपयोग करते हैं, अगर हम उन्हें हटा नहीं सकते तो हमें एक ऐसा उपाय निकालना चाहिऐ कि हम उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। कृषि क्षेत्र में नीति बनाकर और अन्य हस्तक्षेप करके हम कृषि उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और मूल्य कम कर सकते हैं। सरकार द्वारा प्रयास करने पर भी उपभोक्ताओं के लिऐ कीमतें बढ़ती जा रही हैं तथा उपभोक्ताओं द्वारा अदा किऐ हुऐ मूल्य में किसानों का हिस्सा धटते जा रहा है।

अप्रैल 2010 में जब प्याज 3–4 रूपए प्रति किलोग्राम बिक रहा था तो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने किसानों के लिए आवाज नहीं उठाई किन्तु जैसे ही प्याज का मूल्य 70 रूपए प्रति किलोग्राम हुआ सभी ने अपना विवेक खो दिया और मीडिया ने भी इसे खूब उछाला। निर्यात रदद् कर दिया गया, प्याज पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया गया और किसानों को आसानी से भूला दिया गया।

यह इतिहास रहा है कि जब भी सरकारों ने संकट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की उन्होंने अत्यधिक प्रतिक्रिया व्यक्त की जैसे अमेरिका में 11 सितम्बर के हमले के समय या नई दिल्ली में प्याज के भाव में वृद्धि होने पर, यह मनोवैज्ञानिकता ही है। जब भी वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं सरकार निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा देती है। इसका उदाहरण हाल ही में चावल, गेहूँ, गन्ना और अब प्याज के मूल्य कम करने के लिए देखने को मिल रहा है। किन्तु इससे मुद्रस्फीति की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शहरी उपभोक्ता के लिए किसानों को सदा हानि उठानी पड़ी। पी.सी. एलैक्जैन्ड़र ने लिखा 'यह विडम्बना है कि वे लोग जिन्हें भर पेट खाना भी नहीं मिलता है वे लोग ही खाद्य उत्पादन करते हैं जो किसान हैं'। कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देता कि देश के सबसे बड़े समूह; किसान वास्तविक रूप में सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं।

उत्पादन कम होने से किसी भी फसल की लागत बढ़ेगी। वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, किन्तु अत्यधिक सीमा में बढ़ने पर यह समाज के लिए अस्वीकार्य हो जाता है। उसी प्रकार से वैज्ञानिक आधार पर आंकड़ों की गणना कर विपण हस्तक्षेप योजना आरंभ की जानी चाहिए। पिछले 10 वर्षों से प्याज के मूल्य बढ़ाने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। ऐसी कोई नीति होनी चाहिए जिससे उपभोक्ता और किसानों दोनों को लाभ मिल सके, किन्तु यह कोई आदर्श सपना देखने जैसा है, लेकिन उचित हस्तक्षेप करने से यह संभव है कि किसानों को बिना हानि पहुँचाए उपभोक्ताओं को उचित दर पर वस्तुएँ मिल सके।

सरकार को प्याज का आयात नहीं करना चाहिए क्योंकि यह दीर्घकालीक समाधान नहीं है। सांकेतिक चेष्टा या आयात अभी के लिए पर्याप्त होगा क्योंकि बिन मौसम वर्षा के कारण नई फसल आने में विलम्ब हुआ और अब प्याज की नई फसल जनवरी, 2011 के अंत तक पहुँचेगी। हमारे पास अपनी आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। अनावश्यक आयात से जनवरी, 2011 में किसानों को प्याज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल सकेगा। अर्न्राष्ट्रीय वस्तुओं के विक्रेताओं के दबाव के कारण पाकिस्तान ने पहले से ही प्याज के निर्यात को रोक दिया। यह रोक पाकिस्तान में प्याज की बढ़ती हुई कीमतों के कारण है या भारत से उसके बैर के कारण।

भारत देश में दो अनोखी विभिन्नताएं हैं। पहली तो यह है कि शायद भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जहां सब्जी की खरीद और बिक्री के लिए लाइसेंस जरूरी है। दूसरी खेत पर सब्जियों के बिक्री मूल्य और शहरों में उपभोक्ता के उपयोग करने के खरीद मूल्य के बीच विश्व में सबसे ज्यादा अन्तर है।

मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि का दोष जमाखोरी, भण्डारण समस्या, अव्यवस्था, बिना मौसम वर्षा, फसल की हानि, संयुक्त राजनीति का परिणाम या किसी अन्य राजनीति दल द्वारा चालाकी करने को दिया जाता है। इन सभी महत्पूर्ण समस्याओं से निपटना सरल नहीं है।

अधिकारियों को सरकार से विशिष्ट शक्तियां और पर्याप्त राशि मिलती है उस कार्य को करने के लिए जो वो अच्छी तरह कर सकते हैं, परन्तु वह जो जानते हैं वह उसके आगे नहीं सोचना चाहते। इसी प्रकार से सरकारों को भी नहीं मालूम कि अस्थिर मूल्यों को रोकने के लिए क्या किया जाए और किसानों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए। हम भारत कृषक समाज संस्था की ओर से विश्वास करते हैं कि विद्यमान समस्या का कोई एक समाधान नहीं है, अस्थिर मूल्यों में कमी के लिए नीतियों में विभिन्न परिवर्तन करना आवश्यक होगा।

विश्वीकरण और उदारीकरण को साथ–साथ चलना चाहिए। भारत में खाद्य मूल्यों में इतनी अस्थिरता क्यों है ? यह सत्य है कि मूल्यों की अस्थिरता बाजार के अनुपात मूल्यों के विपरीत है। विश्व बाजार में अस्थिरता कम है और छोटे बाजारों में अधिक है जैसे नई दिल्ली की सब्जी मण्ड़ी में।

एक देश एक बाजार। राज्य की सीमाओं में खाद्य पदार्थों को लाने ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, मण्डी में और हर स्थान पर कृषि उत्पादों पर कर न लगाया जाए। सभी हितधारकों को अनुमति दी जाए की वे लाइसेंस के बिना कम नियमों के अन्तर्गत फल एवं सब्जियों की खरीद, भण्डारण, परिवहन कर सकें। कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम समाप्त किया जाए क्योंकि इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ जहां भी इसे लागू किया गया। सभी प्रतिबन्धों को समाप्त किया जाए क्योंकि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है।

वायदा बाजार का विरोध होता है किन्तु हमें समझना चाहिए की विश्वास करना अति महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार विज्ञान भी महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिक साक्ष्यों का भी महत्वपूर्ण आधार होता है। भारत में लोगों को सूचित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए ताकि वे मुक्त बाजार में वस्तुओं की खरीद व बिक्री कर सकें। बिचौलियों की भूमिका कम करने के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए और ये लोग अभी तक अनियन्त्रित घूम रहे हैं। वायदा बाजार में एक ऑटोमैटिक ट्रिगर मकेनिजम विद्यमान अपर्याप्त पद्धति का पूरक है जिसका नियंत्रण राजनीतिज्ञों, राज्य सरकारों और किसी एक मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किया जाता है जो अपना–अपना क्षेत्र बचाने में लगे रहते हैं।

सरकार जब किसी खाद्य फसल के आयात के लिए किसी सरणीबद्ध एजेंसी को कहती हैं तो आयातित फसल सीधे उपभोक्ताओं को बेची जानी चाहिए। किन्तु देखा गया है कि आयातित फसल को वही व्यापारी खरीदते हैं जो बाजार को नियंत्रित करते हैं, सट्टेबाजी करते हैं और इसे बिगाड़ रहे हैं। नेफेड़ जैसी संस्थाओं को कहा जाए की वे गैर उत्पादक क्षेत्रों में फल एवं सब्जियों का कुछ बफर स्टॉक भण्डारित करें। ऐसा चावल और गेहूँ के लिए किया जा चुका है।

सभी हितधारकों को किसानों से उपभोक्ताओं तक की उपयोगी जानकारी दी जाऐ तो इससे सट्टेबाजी और जमाखोरी में कमी आऐगी। इससे वह भारत में परेशानी शुरू होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीद कर सकते हैं। अगर उपभोक्ताओं को पता चले कि फसल कुछ दिनों बाद आएगी तो इसकी मांग में अचानक तेजी आ गई जिसमें मिडिया ने भी अफवाहें फैलाई जो आधारहीन थी।

यह कहना अति कठिन है कि थोक व्यापारी बड़ा चोर है या गली में रेहड़ी पर बेचने वाला बड़ा चोर है ? मेरा मानना है कि यह दोनों आगे पीछे कार्य करते हैं जो किसानों को हानि पहुंचाते हैं और उपभोक्ताओं को भी हानि उठानी पड़ती है। आजादपुर सब्जी मण्डी के 500 व्यापारी को क्यों अनुमति दी गई है कि वे किसानों, उपभोक्ताओं

और यहां तक की सरकारों के भविष्य का भी फैसला करें। उनकी शक्तियां इससे पता चलती है कि जो नए व्यापारी बाजार में प्रवेश करते हैं उन्हें पुराने विनियम के अनुसार ही चलना पड़ता है।

नई दिल्ली सहित सभी शहरों में रहने वाले लोगों को फल एवं सब्जियों को अवैध गली में रेहड़ी पर बेचने वाले से ही लेनी पड़ती हैं। आश्चर्य है कि सरकार ने पहले इस पर विचार किया की मैट्रो बनाई जाऐ और कॉमनवैल्थ गैम्स कराऐ जाऐं। साधारण रूप में दिल्ली (300–400 परिवारों के लिए एक दुकान – सही आंकडों की गणना के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है) के प्रत्येक इलाके को एक नामित दुकान आबंटित की जाऐं ताकि केवल ताजे उत्पाद ही बेचे जा सकें। इस प्रकार की दुकानों को विपणन या उत्पादक सहकारी समितियों को पट्टे पर सीमित अवधि के लिए दिया जाए जहां पर किसान सीधे ही उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद बेच पाएंगे और इसमें न तो व्यापारी न ही गली में बेचने वाला शामिल होगा। आबंटित पट्टे का नवीकरण संबंधित स्थान की आवासीय कल्याण समितियों के अनुमोदन पर निर्भर करेगा। ऐसा होने पर हर कोई फायदे में रहेगा।

महात्मा गाँधी जी ने सही कहा है कि, 'धरती माँ के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है किन्तु सभी की लालच के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है'। खेतों पर नई पद्धतियां अपनाने से किसानों की आय बढ़ने के साथ–साथ कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। किन्तु वास्तविकता यह है कि जनसंख्या का 55 भाग किसानों का है किन्तु वे अपने पक्ष में कोई कारगर नीति तैयार करवाने की स्थिति में नहीं है।

(लेखक भारत कृषक समाज के अध्यक्ष हैं)